श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान

23, विश्वेश्वरैया मार्ग, इंदौर (म.प्र.)-452 003

‘

Estd:1952

शासी निकाय की 127वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक दिनांक	:	13/05/2025
वार	:	मंगलवार
समय	:	दोपहर 12:30 बजे से
स्थान	:	कमरा नं 211, वल्लभ भवन-3, भोपाल
शासी निकाय अध्यक्ष	:	श्री इंदरसिंह परमार माननीय मंत्री (तकनीकी शिक्षा) म.प्र.
सदस्य-सचिव	:	प्रो0 नीतेश पुरोहित निदेशक, SGSITS इंदौर

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर (म.प्र.)

संस्थान के शासी निकाय की 127वीं बैठक मंगलवार, दिनांक 13/05/2025 को अपरान्ह 12:30 बजे कक्ष क्रमांक-211, वल्लभ भवन-3, मंत्रालय भोपाल में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1	माननीय श्री इंदर सिंह परमार, माननीय मंत्री (तकनीकी शिक्षा), म.प्र. शासन	अध्यक्ष
2.	श्री रघुराज राजेंद्रन, सचिव (तकनीकी शिक्षा), म.प्र. शासन	सदस्य
3.	प्रो. राजीव त्रिपाठी, कुलगुरू, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	सदस्य
4.	सुश्री नीलम नीनामा, संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा एवं कोष, इन्दौर	सदस्य
5.	इंजी. मनीष गुप्ता, म.प्र. शासन द्वारा नामित उद्योग प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रो. मिलिंद दांडेकर, प्राध्यापक, एसजीएसआईटीएस, इन्दौर	सदस्य (प्राध्यापक शिक्षक प्रतिनिधि)
7.	प्रो. राजेश धाकड़, सह- प्राध्यापक, एसजीएसआईटीएस, इन्दौर	सदस्य (सह- प्राध्यापक शिक्षक प्रतिनिधि)
8.	प्रो. कृष्णकांत धाकड़, सहायक- प्राध्यापक, एसजीएसआईटीएस, इन्दौर	सदस्य (सहायक - प्राध्यापक शिक्षक प्रतिनिधि)
9.	इंजी. डी.एल. गोयल अध्यक्ष SAA	निदेशक द्वारा आमंत्रित
10.	इंजी. गिरीश गुप्ता, सचिव SAA	निदेशक द्वारा आमंत्रित
11.	प्रो. ललित पुरोहित डीन (एआरएसडी)	निदेशक द्वारा आमंत्रित
12.	डॉ. राहुल मिश्रा, वित्त अधिकारी	निदेशक द्वारा आमंत्रित
13.	श्री प्रवीर अग्रवाल, (गैर-शिक्षक प्रतिनिधि)	निदेशक द्वारा आमंत्रित
14.	प्रो. नीतेश पुरोहित, निदेशक, एसजीएसआईटीएस, इन्दौर	सदस्य सचिव

श्री अवधेश शर्मा, आयुक्त (तकनीकी शिक्षा) म.प्र. शासन, क्षेत्र अधिकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भोपाल, जस्टिस पी.पी. नावलेकर, डॉ दीपक बी. फाटक, श्री आशोक सर्राफ, श्री अभय सिंह भरकतिया, श्री नन्दकुमार सेकसरिया बैठक में उपस्थित नहीं हुए या उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

सर्वप्रथम संस्थान के निदेशक ने माननीय अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए एक-दूसरे का परिचय करवाया एवं संस्थान के समस्त शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, तकनीकी शिक्षा महोदय द्वारा संस्थान को वर्ष 2024-25 की वित्तीय सहायता शासन से जारी करवाने की दिशा में किये गये प्रयासो के लिये धन्यवाद प्रेषित किया। तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक एवं सदस्य सचिव शासी निकाय ने क्रमवार कार्यसूची में उल्लेखित मदों को चर्चा के लिये प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्यों के विचारों और अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निष्कर्षों को संकलित किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

भाग-अ

(संवैधानिक निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त, कार्यपालन प्रतिवेदन, एवं अन्य संबंधित मद)

मद क्र. 127-01(a) : संस्थान के शासी निकाय की 125वीं बैठक दिनांक 20 फरवरी 2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
शासी निकाय का निर्णय : कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

(b): संस्थान के शासी निकाय की 125वीं बैठक दिनांक 20 फरवरी,2024 के कार्यवृत्त पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही की स्वीकृति।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

(c): संस्थान के शासी निकाय की 126वीं (आसाधारण) बैठक दिनांक 03/12/2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

(d): संस्थान के शासी निकाय की 126वीं (आसाधारण) बैठक दिनांक 03/12/2024 के कार्यवृत्त संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही की स्वीकृति।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान द्वारा की गई समस्त कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

मद क्र. 127-02(a) : संस्थान की वित्त समिति की 72वीं बैठक दिनांक 28/03/2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकारते हुए कार्यवृत्त के अनुसार की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया।

(b): संस्थान की वित्त समिति की 73वीं बैठक दिनांक 19/12/2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
शासी निकाय का निर्णय : उपरोक्त बैठक के मद क्रमांक 73.09(b) द्वारा की अनुशंसा अस्वीकार की| अन्य समस्त अनुशंसाओं को स्वीकृत करते हुए संस्थान द्वारा तदनुसार की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया एवं शेष कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया।

(c): संस्थान की वित्त समिति की 74वीं बैठक दिनांक 04/03/2025 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
शासी निकाय का निर्णय : समस्त अनुशंसाओं को यथावत स्वीकृत करते हुए संस्थान द्वारा तदनुसार की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया एवं शेष कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त बैठक के मद क्रमांक 74.13 की अनुशंसानुसार एसआईएफ के स्थान पर शासी निकाय की 127वीं बैठक के मद कम्रांक 127-17(a) के द्वारा स्वीकृत की गई नवीन सेक्शन-8 कम्पनी के लिये इस धन राशि का उपयोग करने का भी निर्देश दिया|

(d): संस्थान की वित्त समिति की 75वीं बैठक दिनांक 11/04/2025 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय की 125वीं बैठक के मद क्रमांक 125-13 पैरा 3 एवं मद क्रमाकं 125-18 के पैरा 3 के अनुसार उपरोक्त बैठक के मद क्र. 75-15 (फ) द्वारा की गई अनुशंसा को अस्वीकृत किया गया। अन्य समस्त अनुशंसाओं को स्वीकृत करते हुए संस्थान द्वारा तदनुसार की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया एवं शेष कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उपरोक्त बैठक के मद क्रमांक 75.03 की अनुशंसा के क्रियान्वयन हेतु यह निर्देश भी दिया कि एसआईएफ के स्थान पर शासी निकाय की 127वीं बैठक के मद कम्रांक 127-17(a) के द्वारा स्वीकृत की गई नवीन सेक्शन-8 कम्पनी के लिये यह कार्यवाही की जाये।

मद क्र. 127-03(a) : संस्थान की शिक्षा परिषद की दिनांक 16/01/2025 को आयोजित 31वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही की स्वीकृति।
शासी निकाय का निर्णय : शिक्षा परिषद की समस्त अनुशंसाओं को स्वीकृत करते हुए संस्थान द्वारा तदनुसार की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया एवं शेष कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया।

(b): संस्थान की शिक्षा परिषद की दिनांक 21/03/2025 को आयोजित 32वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही की स्वीकृति।
शासी निकाय का निर्णय : शिक्षा परिषद की समस्त अनुशंसाओं को स्वीकृत करते हुए संस्थान द्वारा तदनुसार की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया एवं शेष कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया।

(c)(i): नए आर्डिनेंस Flexible Modular Framework (FME) के अंतर्गत Flexible Academic Programme (FAP) सेल्फ फाइनेंस मोड में शुरू करके 60 छात्रों को प्रवेश देने की स्वीकृति हेतु।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान को निर्देश दिया गया की एआईसीटीई एवं विश्वविद्यालय से पत्राचार करके वहां से प्राप्त दिशा-निर्देशों को समायोजित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। शासी निकाय ने इस विषय में यथोचित निर्णय के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

(c)(ii): देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के साथ संयुक्त रूप से PPP मोड में निजी भागीदारों को शामिल करते हुए (i) बैचलर ऑफ डिजाईन एवं (ii) बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(c)(iii): **(अ)** B.Tech. (BME) प्रोग्राम में 12वीं PCB अभ्यर्थियों को प्रवेश देने एवं
(ब) B.Tech. (Civil Engg.) प्रोग्राम हिन्दी माध्यम में 30 सीटो के साथ शुरू करने के विषय में।

शासी निकाय का निर्णय :
(अ) प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया। एआईसीटीई के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए, आरजीपीवी को सुचना देकर, संस्थान स्तर पर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर NEET Score को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया।
(ब) संस्थान को एआईसीटीई/आरजीपीवी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

भाग-ब
(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में स्वीकृत एवं नवीन मद)

मद क्र. 127-04 : प्रशासनिक अधिकारी, नेटवर्क इंजीनियर एवं सहायक वर्ग-3 की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रक्रिया में रोस्टर एवं राज्य शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने का भी निर्देश दिया गया।

मद क्र. 127-05 : म.प्र. मेरू (MP-MERU) की स्थापना हेतु संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों की सूचना एवं तदनुसार संस्थान की सहभागिता की स्वीकृति हेतु।
शासी निकाय का निर्णय : म.प्र. मेरू (MP-MERU) की स्थापना हेतु संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए म.प्र. मेरू का संचालन एसजीएसआईटीएस, इंदौर के द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय ,भोपाल से पत्राचार द्वारा म.प्र. मेरू के क्रियानवयन में समुचित सहभागिता करने का निवेदन करने के लिये निदेशक को निर्देश दिया। यह भी निर्णय हुआ कि म.प्र. मेरू की स्थापना के उपरांत राज्य में कार्यरत अन्य केंद्रीय संस्थाओं (IISER, IIT, IIM, NIT इत्यादि) को भी इसमें सहाभागिता हेतु आमंत्रित किया जाये।

मद क्र. 127-06 (a) : संस्थान में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के संबंध में।
(i) लचीली संवर्ग संरचना के अनुसार शिक्षकों के पदों को पुनर्स्थापित (Reallocate) करने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों के विरूद्ध रोस्टर का पालन करते हुए पुनर्स्थापित करते हुए इस प्रकार रिक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर रोस्टर लागू करते हुए नियुक्ति करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
(ii) प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर मैनेजर के पद को सहायक प्राध्यापक के पदों में परिवर्तित करने के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर मैनेजर के रिक्त पदों पर नियुक्ति करते हुए इन पदों से संबंधित कार्य एवं निदेशक द्वारा दिये जाने वाले अन्य कार्यभार के साथ ही संस्थान की आवश्यकता अनुसार संस्थान के प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में शिक्षण कार्य में भी सहभागिता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई।
(iii) व्यवहारिक विज्ञान एवं मानविकीय में संविदा शिक्षकों के वेतन निर्धारण के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : व्यवहारिक विज्ञान एवं मानविकीय विभाग में सिर्फ NET/SLET qualified अभ्यार्थियों की ही संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाये।

(b) संस्थान में गैर शिक्षकीय पदों पर भर्ती के संबंध में।
(i) रजिस्ट्रार पद का वेतनमान एवं पदनाम यूजीसी अनुसार संशोधित करने के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव को अगली बैठक में चर्चा के लिये स्थगित किया ।

(ii) गैर शिक्षकीय पदों पर कांट्रेक्ट अपाइण्टमेंट हेतु।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न विभागों में सृजित विभिन्न गैर-शिक्षकीय पदों यथा सहायक वर्ग-III एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयीन पद तथा प्रयोगशाला के पद यथा टेक्नीकल असिस्टेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, लेब टेक्नीशियन इत्यादि के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से संविदा पर किये जाने का अनुमोदन किया गया। ऐसे नियुक्त कर्मियों को संबंधित पद के प्रारंभिक वेतन एवं उस पर प्रचलित दर से डीए के 70% के समतुल्य समेकित (Consolidated) मासिक भुगतान वित्त समिति से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत किया जाना भी स्वीकृत किया गया|

(iii) गैर-शिक्षकीय उच्च पदों पर सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा निर्धारण के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : इस विषय में समुचित निर्णय हेतु शासी निकाय ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

मद क्र. 127-07 : आवासीय संपरीक्षा स्थानीय निधि की वेतन निर्धारण आपत्तियों के विषय में।
शासी निकाय के सम्मुख प्रस्तुत संक्षेपिका: शासी निकाय को सूचित किया गया कि विगत कई वर्षों से संस्थान द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.35 करोड़ रुपये (कुल 78 नियमित शिक्षकों/ कर्मचारियों का वेतन एवं लगभग 145 संविदा शिक्षकों का भुगतान) स्थानीय निधि संपरीक्षा की असहमति के बावजूद किया जा रहा है। वेतन निर्धारण एवं अन्य प्रकरणों पर अंकेक्षण विभाग की कई प्रकार की आपत्तियां है, जिसका मुख्य कारण यह है की संस्थान के शासी निकाय ने अपनी 97वीं बैठक दिनांक 06/03/1999 में स्थानीय निधि संपरीक्षा से अंकेक्षण कार्य करवाना बंद किया गया था, जिसे 116वीं बैठक दिनांक 22/04/2012 में पुन: प्रारम्भ किया गया (जो वर्तमान में प्रचलन में है)। अत: नए निदेशक द्वारा इस विषय के गहन अवलोकन हेतु बाहरी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था |
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने यह निर्देश दिया कि उपरोक्त समिति की हर अनुशंसा पर निदेशक अपना अभिमत अंकित करके सभी सम्बंधित दस्तावेजो सहित एक विस्तृत प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें।

मद क्र. 127-08 : संस्थान में विभिन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्थापना एवं उनकी कार्य पद्धति के अनुमोदन के विषय में।
(a) साईंस ऑफ हेप्पीनेस (रेखी फाउंडेशन के सहयोग से)
(b) भारतीय ज्ञान परम्परा

शासी निकाय का निर्णय : उपरोक्त दोनों प्रस्तावित सेंटर को स्वशासी पद्धति से संचालित करने का अनुमोदन किया।

मद क्र. 127-09 : मध्यप्रदेश शासन के असाधारण गजट क्र.77 दिनांक 05 मार्च, 2004 के अनुसार नियुक्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वेतनवृद्धि देने के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : उपरोक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन के आसधारण गजट क्र.77 दिनांक 05 मार्च, 2004 के अनुसार वर्ष 2005, 2006, 2007, 2013 तथा 2018 में नियुक्त समस्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वेतन वृद्धियों के साथ-साथ अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं अन्य अनुवर्ती लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को भी समान रूप से यह लाभ देने की स्वीकृति दी।

मद क्र. 127-10 (a) : Central Seat Allocation Board (CSAB) के माध्यम से संस्थान के बी.टेक प्रोग्राम में All India quota (URAI) प्रवेश देने के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्ताव स्वीकारते हुए निदेशक को आवश्यक कार्यवाही क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया।

(b): भारत सरकार के 'स्टडी इन इंडिया' के कार्यक्रम के तहत संस्थान में छात्रों को प्रवेश देने की स्वीकृति हेतु।
शासी निकाय का निर्णय : OCI, FN, PIO, GULF इत्यादि कोटे के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत (supernumery) सीटों पर संस्थान स्तर पर दिये जाने वाले प्रवेश को भारत सरकार के 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य माध्यमों (जैसे कि DASA) का भी उपयोग करते हुए प्रवेश प्रक्रिया की जाये। अगर फिर भी रिक्त सीट रह जाये तब पूर्वानुसार संस्थान स्तर पर भी प्रवेश प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई। इस हेतु की जाने वाली समस्त कार्यवाही क्रियान्वयन हेतु निदेशक को अधिकृत किया गया।

मद क्र. 127-11: संस्थान के समुचित संचालन हेतु किए गए प्रयासों के विषय में।
(a) संस्थान में आईडीएमसी, डीआईएसी, स्टाफ रिक्रूटमेंट सेल, कैरियर काउंसिलिंग सेल के गठन के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने संस्थान द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों की प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया।

(b) संस्थान के छात्रावासों एवं गेस्ट हाउस के नामकरण एवं एलॉटमेंट हेतु नियम परिवर्तन के संबंध में।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने संस्थान द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों की प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया।

(c) प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन एवं दिशा निर्देश के संबंध में।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने संस्थान द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों की प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया।

(d) भवनों के उपयोग का नवीन प्रारूप।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने संस्थान द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों की प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया।

(e) विभागों के पुनर्गठन के लिए समिति का गठन।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने समिति की अनुशंसा पर समुचित कार्यवाही करने हेतु निदेशक को अधिकृत किया।

मद क्र. 127-12: संस्थान द्वारा लिए गए निर्णय और गतिविधियां सूचनार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

(a) संस्था में CRISP द्वारा संचालित गतिविधियों के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान की CRISP के सक्षम अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान लेते हुए शासी निकाय ने संतोष व्यक्त किया और आपसी सहमति से समुचित निर्णय लेते हुए उपरोक्त विषय का निराकरण करने का निर्देश दिया।

(b) इंदौर नगर निगम द्वारा मांगे जा रहे संपत्ति उपकरों को समाप्त करने के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने संस्थान के उपरोक्त कार्य की प्रशंसा की।

(c) दीन दयाल शोध संस्थान चित्रकूट, जन अभियान परिषद, (मध्यप्रदेश) एवं इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी, प्रयागराजके साथ मिल कर राज्य शासन के लिए डेटा जुटाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी शासन को उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने संस्थान के उपरोक्त प्रस्ताव की प्रशंसा की एवं अनुमोदन प्रदान किया।

(d) संस्थान द्वारा Indore Climate Mission में सहभागिता करते हुए विद्युत खपत घटाने की सूचना।
शासी निकाय का निर्णय : Indore Climate Mission के अन्तर्गत संस्थान द्वारा 43,782 युनिट्स बिजली खपत कम करने पर शासी निकाय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई।

(e) संस्थान के अनुपायोगी वस्तुओं को write-off करते हुए dispose-off करने की स्वीकृति हेतु।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय द्वारा e-waste, Library, Bus, Car, AC, Other Scrap को write-off करते हुए dispose-off करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(f) गेट-2020 प्रकरण की जानकारी।

शासी निकाय का निर्णय : गेट-2020 प्रकरण में निदेशक द्वारा यह जानकारी दी गई कि आर्बिट्रेशनल ट्रायबुनल का अवार्ड संस्थान के विरूद्ध पारित हुआ है। उक्त अवार्ड के विरूद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, चर्चा के दौरान अभिमत बना कि उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता, एवं नियमों का उल्लंघन होना प्रतीत होता है, अत: निदेशक को एक समिति का गठन कर प्रारम्भिक जांच करने एवं स्वविवेकानुसार आवश्यक प्रशासनिक तथा वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।

मद क्र. 127-13: संस्थान में एनपीएस लागू करने के संबंध में।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान में जो प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट कार्यरत है उसके विषय में एक श्वेत-पत्र, एनपीएस के संबंध में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार जानकारी एकत्रित कर एवं प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित आवश्यक जानकारी इत्यादि संबंधित दस्तावेजों सहित शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

मद क्र. 127-14: संस्थान में संचालित फार्मेसी विभाग के संदर्भ में सूचना एवं मार्गदर्शन के संबंध में।
शासी निकाय के सम्मुख प्रस्तुत संक्षेपिका: निदेशक ने सूचित किया की कई वर्ष पूर्व राज्य शासन का फार्मेसी कॉलेज temporary रूप से (धार रोड पर आवंटित भूमि पर भवन निर्माण होने तक) संस्थान परिसर में संचालित करने का आदेश मिला था| संस्थान अपने एक विभाग के रूप में इसे संचालित कर रहा है| राज्य शासन ने हाल ही में धार रोड पर आवंटित उपरोक्त भूमि का आवंटन निरस्त करके नयी भूमि देने की सूचना दी है|
शासी निकाय का निर्णय : शासन द्वारा आवंटित की जाने वाली नवीन भूमि का रजिस्ट्रेशन एस.जी.एस.आई.टी.एस. इंदौर के नाम से करवाये जाने का निर्देश दिया गया। विधिसम्मत तरीके से राज्य शासन द्वारा प्रदत्त फार्मेसी कॉलेज का विलय संस्थान के एक विभाग के रूप में करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निदेशक को अधिकृत किया गया| साथ ही, अब तक राज्य शासन के फार्मेसी कॉलेज के संचालन की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए संस्थान ने जो प्रत्यक्ष और परोक्ष व्यय किया गया है उसका भुगतान प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया।

मद क्र. 127-15: कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के विषय में।

(a) वर्ष 2018 में कैरियर उन्नयन योजना में पदोन्नति हेतु शिक्षकों के प्रकरणों की स्वीकृति एवं गैर-पीएच.डी धारी एसोसिएट प्रोफेसरों के पीएच.डी उपाधि धारण करने के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान द्वारा जारी किये गये नियुक्ति पत्रों का अनुमोदन किया गया। पी.एच.डी. के विषय में मद क्रमांक 127-07 में लिये गये निर्णय मान्य होगा, तदनुसार संस्थान सभी लाभार्थियों से शपथपत्र जमा करवाएगा|

(b) वर्ष 2022-23 एवं 2024 में कैरियर उन्नयन योजना में पदोन्नति हेतु शिक्षकों के प्रकरणों की स्वीकृति एवं गैर पीएच.डी धारी एसोसिएट प्रोफेसरों के पीएच.डी उपाधि धारण करने के संबंध में।
शासी निकाय का निर्णय : CAS समिति द्वारा प्रदत्त लिफाफा खोला गया और समस्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया। पी.एच.डी. के विषय में मद क्रमांक 127-07 में लिये गये निर्णय मान्य होगा,तदनुसार संस्थान सभी लाभार्थियों से शपथपत्र जमा करवाएगा|

(c) डॉ. अतुल मोदी के विभिन्न आवेदनों एवं CAS विषय में अनुशंसाएं एवं कार्यवाही।
शासी निकाय का निर्णय : "Thus far no further" का सिद्धांत अपनाते हुए सेवानिवृत्ति तक यथावत स्थिति (Status Quo) बनाये रखने का निर्देश दिया गया|

(d) संस्थान के टीपीओ के परिवर्तित पदनाम एवं अन्य संबंधित लाभों के विषय में।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान द्वारा गठित समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकृत की गई। साथ ही, टीपीओ द्वारा हाल ही में दिये गये नये निवेदन का संज्ञान लेते हुए उस पर इसी समिति की अनुशंसा लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के यथोचित निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

भाग-स

(SIF, SOA, Society, SAA, SSS एवं अन्य संबंधित मद)

मद क्र. 127-16: संस्थान के Alumni द्वारा स्थापित सेक्शन-8 कंपनी SGSITS इन्क्युबेशन फोरम (SIF) का संस्थान के साथ MOU एवं Lease Deed; SIF की उपलब्धियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट; एवं SIF BOD के विभिन्न निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
शासी निकाय का निर्णय : संस्थान का SIF के साथ हुआ MOU एवं Lease Deed प्रस्तुत प्रारूप में स्वीकृति योग्य नहीं हैं| इन्हें संशोधित करके माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया की भविष्य में, किसी भी कंपनी/संस्था को कोई भी सुविधां देते समय संस्थान के हितों को सर्वोपरी रखना एवं किसी भी संस्था/कंपनी द्वारा SGSITS शब्द अपने नाम के साथ जोड़ने की स्वीकृति शासी निकाय के द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मद क्र. 127-17(a): SGSITS Outreach Activities (SOA) के समुचित संचालन के लिए सेक्शन-8 कंपनी बनाने की अनुमति हेतु।
शासी निकाय का निर्णय : भारत सरकार के कंपनी अधिनियम के सेक्शन-8 के तहत संस्थान को एक कंपनी का पंजीयन कराने की अनुमति प्रदान की गई। निदेशक को इस कम्पनी का MOA बनाने, BOD गठन एवं अन्य सम्बंधित निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

(b) SGSITS Student Sangh (SSS) के गठन, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य कार्य कलापों की सूचना।
शासी निकाय का निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुवे संस्थान द्वारा अब तक किये गए विभिन्न कार्यकलापो पर संतोष व्यक्त किया गया।

मद क्र. 127-18: SGSITS Alumni Association (SAA) के गठन, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य कार्य कलापों की सूचना।
शासी निकाय का निर्णय : शासी निकाय ने SGSITS Alumni Association (SAA) के द्वारा संस्थान में किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही संस्थान को (SAA) के साथ MOU करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाकर शासी निकाय के माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के बाद लागू करने का निर्देश दिया।

मद क्र. 127-19: SGST Society के कार्य कलापों की सूचना।
(a) विगत तीन बैठकों के कार्यवृत्त की सूचना।
(b) GSIMR के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट।
शासी निकाय का निर्णय : उपरोक्त विषय से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की विवेचना के उपरांत असंतोष व्यक्त करते हुए संस्थान को यह निर्देश दिया गया कि इस विषय में उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता से परामर्श लेकर शासी निकाय के सम्मुख प्रस्तुत करें।

मद क्र. 127-19: अध्यक्ष महोदय की सहमति से रखने योग्य आवश्यक विषय।
(a) निदेशक ने प्रो. व्यवहारे समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। शासी निकाय ने सभी अनुशंसाएं स्वीकारते हुए खाता क्रमांक 09112011030851 को बंद करने एवं उसमें उपलब्ध राशि के नियोजन हेतु संबंधित पूर्व छात्रों से संवाद कर संस्थान हित में उचित कार्य सम्पादित किये जाने का निर्देश दिया।
(b) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गैर-शिक्षकीय प्रतिनिधि ने यह निवेदन किया कि संस्थान के समस्त तकनीकी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के समय के पद की न्यूनतम अर्हता के उपर की उच्च शिक्षा या नियुक्ति पश्चात् उच्च शिक्षा अर्जित करने पर वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जावे। शासी निकाय ने यह निर्णय लिया कि इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के जो भी नियम है उसके अनुरूप कार्यवाही की जाये।

तदुपरांत, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना पाथेय संबोधन दिया| फिर सभी सदस्यों ने "आपरेशन सिंदूर" में बलिदान देने वाले जवानों के लिये एक मिनट का मौन रखा। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

21/05/2025 को हस्ताक्षरित
(प्रो. नीतेश पुरोहित)
सदस्य सचिव, शासी निकाय
एवं
निदेशक, एसजीएसआईटीएस, इन्दौर

27/05/2025 को हस्ताक्षरित
(माननीय श्री इंदर सिंह परमार)
अध्यक्ष, शासी निकाय, एसजीएसआईटीएस, इन्दौर
एवं
माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल